न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–49/2016/भीलवाड़ा (2016/00043)

1- भूला बेवा भोजा, जाति गुर्जर, निवासी दोवनी, तहसील कोटड़ी व जिला भीलावाड़ा

अपीलांट्स

बनाम

1. हजारी पुत्र लाला गुर्जर
2. कालू पुत्र लाला गुर्जर
3. गोपाल पुत्र बालू गुर्जर
4. मु0 जमनी बेवा बालू गुर्जर
5. उगमा पुत्र श्रीकिशन
6. नन्दू बेवा देवबक्श
7. जमनी पुत्री देवबक्श
   समस्त जाति गुर्जर निवासी दोवनी, तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
8. पवन कुमार पुत्र उमाशंकर, जाति ब्राहम्ण
9. सुशीला देवी पत्नी चन्द्रप्रकाश जाति ब्राहम्ण
   दोनों निवासी गेंगा का खेड़ा, तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
10. ग्राम पंचायत जीवा का खेड़ा जरिये सरंपच ग्राम पंचायत जीवा का खेड़ा, पंचायत समिति कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
11. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी दिनांक 10.03.2016 अंतर्गत अपील संख्या 03/2015

उपस्थितः–

1. श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं0 1 से 5 एव 7 से 11 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– .....

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकरी, कोटड़ी (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजूदा अपीलार्थीया ने नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 05.10.2011 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलार्थीया के पति स्व. भोजा गुर्जर पुत्र लाला गुर्जर के नाम ग्राम दोवनी पटवार हल्का जीवा का खेड़ा तहसील कोटड़ी मे आराजीयात खाता संख्या 102 खसरा संख्या 22/2 रकबा 1 बीघा बिस्वा, आराजी संख्या 391/1 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 394/2 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 400 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा अपीलार्थीया के पति स्व. भोजा गुर्जर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 के नाम दर्ज थीं जिसमे अपीलार्थीया के पति का 1/3 हिस्सा था इसी प्रकार खाता संख्या 103 की आराजी खसरा संख्या 21/1 रकबा 06 बिस्वा, आराजी खसरा संख्या 22/4 रकबा 15 बिस्वा, आराजी खसरा संख्या 206/3 रकबा 10 बीघा, आराजी खसरा संख्या 394/1 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा जो सम्पूर्ण अपीलार्थीया के पति के नाम दर्ज थी इस प्रकार खाता संख्या 102 की आराजी खसरा संख्या 197 रकबा 9 बिस्वा गै.मु.आचा में अपीलार्थीया के पति का 1/6 हिस्सा दर्ज था। परन्तु अपीलार्थीया के पति स्व. भोजा गुर्जर की मृत्यु पश्चात उनकी फौतगी का जो नामान्तरकरण खुला उसे मिली भगत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने फर्जी तरीके से अपीलार्थीया को सूचित किए बिना अपने नाम दर्ज करवा लिया, जो अवैधानिक है। उक्त नामान्तरकरण भरे जाते समय सम्पूर्ण जांच नही की गई। इसलिए अपीलार्थीया के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम जो नामान्तरकरण भरा गया, वह अवैधानिक होकर शून्य है। चूंकि उक्त नामान्तरकरण भरे जाने की अपीलार्थीया को कोई जानकारी नही थी। इसलिए जानकारी होने पर उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करवाने हेतु उक्त अपील धारा 5 मिया अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अन्त में नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 05.10.2011 को अपास्त कर उक्त नामान्तरकरण में मृतक भोजा के वारिस के रूप में अपीलार्थीया के नाम दर्ज किए जाने की प्रार्थना की गई।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट अभिभाषक बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

3- अपीलान्ट अभिभाषक ने बहस में कहा कि अपीलार्थीया के पति स्व. भोजा गुर्जर की मृत्यु पश्चात नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व नियमानुसार मृतक खातेदार के समस्त वारिसानों की जांच की जानी चाहिए। जो हस्तगत प्रकरण में नही की गई। क्योंकि स्व. भोजा गुर्जर लाऔलाद फौत हुआ था। परन्तुत अपीलार्थीया उसकी पत्नी जीवित थी जो प्रथम श्रेणी की वारिस होने के नाते उसके नाम फौतगी का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। परन्तुत ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार के अपीलार्थीया के स्थान

पर मनगढन्त तथ्यों को आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम उक्त नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 05.10.2011 तस्दीक कर दिया गया। जो अपीलार्थीया के हक व अधिकारों पर पूर्णतः बेअसर व प्रारम्भ से ही शून्य था और ऐसे प्रभाव शून्य आदेशों की कोई मियाद नही होती है ऐसे आदेशों की किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। परन्तु अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अत्यन्त ही तकनीकी रूख अपनाते हुए उक्त तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजरन्दाज कर आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

4- यह कि ग्राम पंचायत जीवा का खेडा ने वसीयत के आधार पर जो उक्त नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 05.10.2011 तस्दीक कर दिया गया। जो अपीलार्थीया के हक व अधिकारों पर पूर्णतः बेअसर व प्रारम्भ से ही शून्य था और ऐसे प्रभाव शून्य आदेशों की कोई मियाद नही होती है ऐसे आदेशों को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। परन्तु अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अत्यन्त ही तकनीकी रूख अपनाते हुए उक्त तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजरन्दाज कर आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

5- यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि नामान्तकरण संख्या 556 दिनांक 05.10.2011 स्व. भोजा गुर्जर की फौतगी का नामान्तकरण था जो उसके जीवित विधिक वारिसानों के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। सर्व प्रथम तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उसे खोले जाते समय किसी प्रकार की कोई वसीयत प्रस्तुत नही की गई। यदि उनके द्वारा कोई वसीयत प्रस्तुत कर भी दी जाती तो कानून ग्राम पंचायत को वसीयत के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जो नामान्तकरण संख्या 556 दिनांक 05.10.2011 तस्दीक किया गया वह प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य था। परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त कानूनी प्रावधानों को समझे बिना ही केवल मात्र मियाद के बिन्दु पर अपीलार्थीया की अपील को खारिज करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है जो निरस्तनीय है।

6- यह कि विद्वान अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मियाद के तकनीकी बिन्दु पर अपीलार्थीया की अपील को खारिज किया है। जबकि उन्होने प्रकरण के मर्म को नही देखा। जबकि अपीलार्थीया का प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय किए जाने योग्य था इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरआरडी 1998 पृष्ठ 319 पर यह व्यवस्था दी है कि यदि न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत होती है तो केवल मात्र तकनीकी आधार पर नही बल्कि प्रकरण के पीथ एवं सब्सटेन्स को देखते हुए न्यायालय को निर्णय करना चाहिए परन्तु अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने केवल मात्र मियाद के तकनीकी बिन्दु पर आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.03.2016 पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

7- यह कि विद्वान अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया द्वारा जिस नामान्तरकरण संख्या 556 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई थी, उक्त नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक व शून्य था। जो नियमों के

विपरीत जाकर तस्दीक किया गया था। ऐसी नामान्तरकरण आदेशों की कोई मियाद निर्धारित नही होती है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को तकनीकी आधारों के बजाय गुणावगुण पर प्रकरण निर्णिय करना चाहिए साथ ही मियाद के संबंध में न्यायालय का उदारता पूर्वक रूख अपनाना चाहिए। परन्तु अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त कानूनी सिद्धान्तों को पूर्णतः नजरन्दाज कर केवल मात्र तकनीकी आधार पर आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.03.2016 पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थीया को जानकारी होते ही व न्यायालय की शरण में आ गई प्रार्थीया /अपीलार्थीया अनपढ़, गरीब, विधवा है। नामान्तरकरण की अपील पेश की गई। जिसमें गवाह आवश्यक नहीं है। महिला होने का प्रत्यर्थी फायदा उठाकर कुछ भी कर सकते है। वसीयत का नामान्तरकरण में हवाला होना चाहिए था। विरासत का प्राकृतिक न्याय है कि संबंधित को उसका वाजिब हक मिले।

8- विद्वान अधिवक्ता ने आगे बहस में कहा कि अधिनस्थ न्यायालय अपीलार्थीया की अपील मेंन्टेबल नहीं मानकर चूक की है। जबकि उन्होने इस बात पर गौर नही किया कि ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण की प्रथम अपील उनके समक्ष ही मेन्टेनेबल है, जिसे सुनवाई का उन्हे क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

9- विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

(1) आरआरडी 1998 पृष्ठ 319,
(2) आरआरटी 2012 (1) पृष्ठ 182,
(3) आरआरटी 2011 (2) पृष्ठ 1350

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 10.03.2016 एंव नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 05.10.2011 निरस्त करने का निवेदन किया।

10- हमनें अपीलार्थी पक्ष की बहस को सुना तथा उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों सहित सम्पूर्ण पत्रावली का सुक्ष्मता से अलोकन किया तथा विधिक प्रावधानों के अध्ययन व मनन किया है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 5 मियाद बिन्दु पर ही अपीलार्थीया की अपील खारिज कर दी। जो न्याय संगत जो प्रत्तीत नही होती है। चूंकि प्रार्थीया / अपीलार्थीया अनपढ़, गरीब, विधवा है। अतः न्याय हित में यह उचित है कि साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर विस्तृत विवेचन व मनन के पश्चात् निर्णय पारित हो ताकि संबंधित को उसका वाजिब हक मिले। इस निष्कर्ष की पुष्टि अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो में प्रतिपादित सिद्धान्तों से भी होती है अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–3–2016 निरस्त किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीया को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करे।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक .....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.17 16:17:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: